न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 95/2025

श्री तुलसी राम चौधरी निवासी भगवानपुरा पोस्ट कडीला तहसील मालपुरा जिला टोंक
--अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक --प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 4.11.2025

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 31.08.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई:–

I applied in Nagar Parishad Tonk for issue of Patta vide Receipt No. 4983 dated 11/08/2023. I am serving out of the state and till date no information have been given to me about my case. Hence it is requested to provide the following informati to me at the earliest

1. What is time limit for issue of Patta after submitting application
2. On which stage the application /file is kept pending
3. I applied for Patta in concessional patta issue scheme, is it still applicable, if not please provide copy of orders
4. An undesirable time of more than two years have been spent and I have no information about the case /file, what are the reasons of delay and is anyone responsible for delay ? If yes what action have been taken against responsible personnel
5. I need to submit fresh application for the same or existing file/application can be processed ?
6. Details of amount to be deposited for issue of Patta for above mentioned case

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 2014 दिनांक 16.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 989 दिनांक 24.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध आयुक्त नगर परिषद टोंक से होने से उनके पत्र कमांक 848 दिनांक 15.09.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 849 दिनांक 15.09.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

736

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पेन्द्र अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
टोंक (राजस्थान)